शरीर दान एवं अंग दान :

शरीर दान, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए मृत्यु के बाद शरीर देने के रूप में जाना जाता है, जो शरीर रचना विज्ञान अधिनियम (Anotomy Act) 1949 के अंतर्गत आता है। दान किया हुआ मृत शरीर, शरीर रचना विज्ञान के शिक्षण व अनुसंधान के लिए, चिकित्सा शिक्षकों का प्रमुख साधन है।

लोग अपने जीवन काल के दौरान शरीर दान करने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं, और अपनी इस इच्छा के बारे में परिवार से चर्चा करते हैं।

जबकि अंग एवं ऊतक दान चिकित्सकीय प्रायोजनों के लिए होता है, शिक्षा या अनुसंधान के लिए नहीं। परिवार की सहमति से अंग एवं ऊतक निकालने के बाद शव, अंतिम संस्कार के लिए सम्मान सहित उनके परिवार को लौटा दिया जाता हैं।

अंग दान - अस्पताल या घर पर :

अंग दान तभी संभव है जब रोगी की मृत्यु आईसीयू में हो और रोगी को मस्तिष्क स्तंभ मृत घोषित कर दिया हो। घर पर मृत्यु होने पर कोई भी महत्वपूर्ण / जीवनदायी अंग नहीं लिए जा सकते हैं। घर पर मृत्यु होने की स्थिति में, निर्धारित समयावधि के अन्दर केवल नेत्र (कॉर्निया) व त्वचा दान किए जा सकते है।

अंग दान के बाद विरूपता नहीं:

दाता के अंगों को सावधानी के साथ आपरेशन थिएटर मे निकाला जाता है, जिससे शरीर में कोई विकृति न आए। जीवित व्यक्ति पर की गई किसी शल्य चिकित्सा की तरह ही मृतक शरीर पर जहाँ कट लगाते है, वहां टांके लगा दिये जाते है।

मुआवजा या भुगतान:

मरणोंपरांत अंग दान के लिए किसी भी प्रकार के मुआवजे या भुगतान का प्रावधान, मानव अंग प्रत्यारोपण कानून 1994 के तहत नहीं किया गया है। हालांकि परिवार के अंग दान के लिए सहमति देने के बाद, परिवार से जांच प्रक्रिया के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता।

अंग दान करने के बाद शरीर दान:

आमतौर पर अंग एवं ऊतक दान करने या मृत्यु उपरांत शरीर परीक्षण (पोस्ट मार्टम) के बाद, शरीर शिक्षण उद्देश्यों के लिए स्वीकार नहीं किया जाता है। हालाँकि, केवल कॉर्निया दान करने के बाद, शरीर अनुसंधान के लिए छोड़ा जा सकता है।

मृत्यु को जीवन का अंत न बनने दें,
उठाये कदम - करें संकल्प
अंग दान का - चुने विकल्प

आप अंग दान को बढ़ावा देने में सहायता कर सकते हैं:

- अंग दाता बनकर, और दूसरों की जान बचाने के, अपने निर्णय के बारे में अपने परिवार से बात करके।
- आप अपने काम के स्थान पर, अपने समुदाय मे, पूजा के स्थान पर, और अपने नागरिक संगठन में लोगों को प्रेरित करके, अंग एवं ऊतक दान को बढ़ावा दे सकते हैं।

अंग एवं ऊतक जो मरणोंपरांत दान किये जा सकतें है।

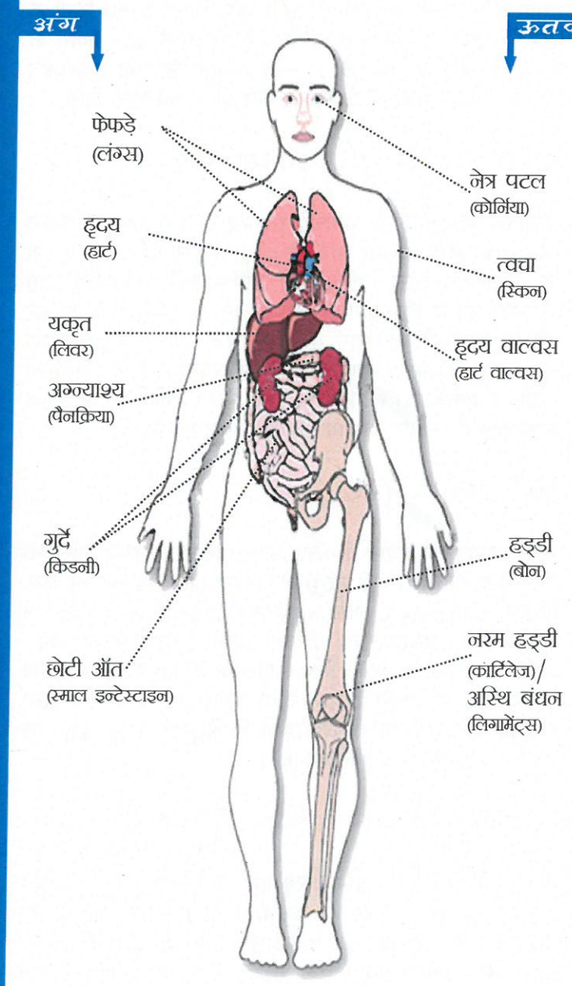

जीते–जी रक्तदान
जाते–जाते अंगदान

राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन:

भारत में अंग एवं ऊतक दान व प्रत्यारोपण को बढ़ावा देने के लिए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (नोटो) की स्थापना की गई है। नोटो, चर्तुथ एवं पंचम तल, एन.आई.ओ.पी. भवन, सफदरजंग अस्पताल परिसर में स्थित है।

नोटो राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने हेतु, पांच क्षेत्रों में, क्षेत्रिय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (रोटो) एवं हर राज्य / केन्द्रीय शासित प्रदेश में राज्य अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (सोटो), को विकसित कर रहा है।

दूरदर्शिता (विज़न):

मानव अंग प्रतिरोपण संशोधित अधिनियम एवं संशोधित नियमों के दायरे में, अंग विफलता के कारण होने वाली अकाल मृत्यु की रोकथाम कर जीवन को बचाना।

लक्ष्य:

एक प्रभावी राष्ट्रीय, मरणोंपरांत अंग एवं ऊतक दान प्रणाली स्थापित करना।

ध्येय:

मरणोंपरांत अंग एवं ऊतक दान को बढ़ावा देकर, प्रत्यारोपण के लिए जरुरतमंद नागरिकों के जीवन में सुधार करना।

अंग दाता बनें:

अपने अंगों एवं ऊतकों को दान करने की प्रतिज्ञा लें। अपने परिवार के समक्ष अपनी अंगों एवं ऊतकों को दान करने की इच्छा जाहिर करें, क्योंकि मृत्यु की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के समय, अंगों व ऊतकों को दान करने के लिए, उनकी सहमति आवश्यक है।

अधिक जानकारी व शपथ लेने के लिए सम्पर्क करें...

नोटो
राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार,
चर्तुथ एवं पंचम तल, एन.आई.ओ.पी. भवन, सफदरजंग अस्पताल परिसर, नई दिल्ली–110029
ईमेल: dir@notto.nic.in, वेबसाइट: www.notto.nic.in

Helpline No.- 1800-11-4770

अंग दान *जीवन दान*

अंग एवं ऊतक दान

आत्मा अमर है- अंगों को अमर करें

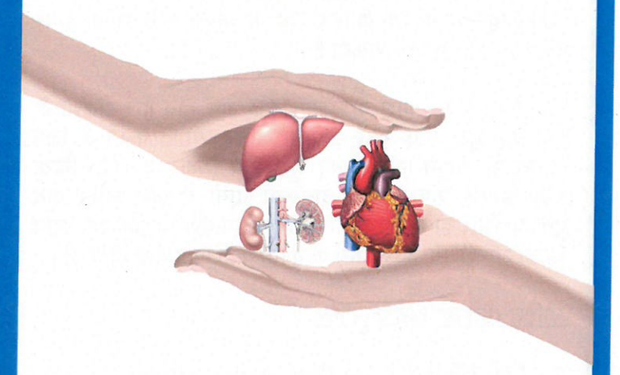

आज ही शपथ लें - जिन्दगीं बचाने की

नोटो
राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन

अंग दान:

अंग दान एक महान कार्य है, जो हमें मृत्यु के बाद कई जिन्दगियां बचाने का अवसर देता है। अंग, शरीर का एक हिस्सा है, जो शरीर में एक विशेष कार्य करता है, जैसेः हृदय, फेफड़े, गुर्दे, यकृत, अग्न्याश्य एवं ऑत आदि। वे रोगी जो अंग खराब हो जाने के कारण, अंग विफलता के अंतिम चरण में हैं, अंग दान उनके लिए उम्मीद की एक किरण हैं। दान किए हुए अंगों को चिकित्सकीय प्रायोजनों के लिए, उन रोगियों में प्रत्यारोपित किया जाता है।

ऊतक दान:

ऊतक कोशिकाओं का एक समूह है, जो मानव शरीर में विशेष कार्य करते है। ऊतक जैसेः कॉर्निया/नेत्र , हृदय वाल्व, त्वचा आदि। दान किए गए ऊतकों के प्रत्यारोपण से, कई प्राप्तकर्ताओं के जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकते है।

अंग दान के विभिन्न प्रकार:

1. जीवित रहते अंग दान – एक व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष हो, स्वैच्छिक रूप से अपने करीबी रिश्तेदारों को चिकित्सकीय उद्देश्यों के लिए, देश के कानून व नियमों के दायरे में रहकर अंगदान कर सकता है।

वह अपने जीवन काल के दौरान कुछ अंग दान कर सकता है, जैसे एक गुर्दा (एक गुर्दा सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए पर्याप्त है), यकृत (लीवर) का कुछ भाग (यकृत का दान किया गया हिस्सा, प्राप्तकर्ता व दानकर्ता दोनों में कुछ समय बाद पुनःविकसित हो जाता है), अग्न्याशय (पैनक्रिया) का कुछ भाग (आधा अग्न्याशय, अग्न्याशय के कार्यो के लिए पर्याप्त होता है)।

जीवित रहते अंगदान के प्रकार:

क: निकटतम रिश्तेदार दानकर्ता (Near Related Donor)
ख: निकटतम रिश्तेदार के अलावा अन्य दानकार्ता (Other than Near Related Donor)
ग: विनिमय/स्वैप दानकर्ता (SWAP Donor)

2. मरणोपरांत अंग दान – कोई भी व्यक्ति, किसी भी आयु में मृत्यु (मस्तिष्क मृत्यु /हृदय मृत्यु) के पश्चात् अपने अंग एवं ऊतक दान कर, कई व्यक्तियों को जीवन दे सकता है। इसके लिए मृतक के निकटतम संबंधी की सहमति आवश्यक है। मृतकदाता की उम्र यदि 18 वर्ष से कम है तो उसके माता–पिता या माता–पिता द्वारा प्राधिकृत रिश्तेदार की सहमति आवश्यक है। दान के लिए चिकित्सा उपयुक्तता, मृत्यु की दुर्भाग्यपुर्ण घटना के समय ही निर्धारित होती है।

माटी का शरीर है, इक दिन माटी में मिल जाएगा
अंग दान कर जा मानव, संसार तेरे ही गुण गाएगा।

क्या ये संभव है कि अन्य किसी रिश्तेदार या मित्र से अंग प्राप्त किया जाए?

मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम के अनुसार, कोई भी जीवित दानकर्ता, निकट रिश्तेदार के अलावा भी स्नेह, लगाव व अन्य विशेष कारणों से अंग दान कर सकता है। इस तरह के मामले अस्पताल की प्राधिकरण समिति, जहां प्रत्यारोपण होना हो, द्वारा अनुमोदित किए जाते है। निकट संबंधी के अलावा अन्य किसी दानकर्ता से अंग प्राप्त कर, होने वाले प्रत्यारोपण में प्राधिकरण समिति का अनुमोदन आवश्यक है।
यदि इस प्रकार की प्राधिकरण समिति अस्पताल में नहीं है, तो संबंधित जिले या राज्य स्तर की प्राधिकार समिति द्वारा अनुमोदन किया जा सकता है।

प्रत्यारोपण:

प्रत्यारोपण एक शल्य चिकित्सा की क्रिया है, जिसमें एक व्यक्ति से अंग प्राप्त कर दूसरे व्यक्ति में लगा दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का कोई अंग बिमारी या चोट के कारण खराब हो जाता है, तो प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है।

अंतिम चरण के रोग जिनका अंग प्रत्यारोपण के द्वारा इलाज संभव है:

रोग	अंग
हृदय विफलता	हृदय
फेफड़ों की बीमारी	फेफड़े
गुर्दे की विफलता	गुर्दा
यकृत की विफलता	यकृत
मधुमेह	अग्न्याशय
दृष्टिहीनता	नेत्र
हृदय वाल्व रोग	हृदय वाल्व
गंभीर रूप से जलना	त्वचा

दान किए गए अंगों का शीघ्र प्रत्यारोपण:

मृतक व्यक्ति के स्वस्थ अंगों का जितना शीघ्र संभव हो, प्रत्यारोपण कर दिया जाना चाहिए। विभिन्न अंगों के प्रत्यारोपण की समय सीमा अलग अलग हैः

हृदय	4–6 घण्टे
फेफड़े	4–8 घण्टे
छोटी आंत	6–10 घण्टे
यकृत	12–15 घण्टे
अग्न्याश्य	12–24 घण्टे
गुर्दा	24–48 घण्टे

सभी धर्मों में दान एक महान कार्य माना गया है।

मस्तिष्क स्तंभ मृत्यु (ब्रेन स्टेम डेथ):

ब्रेन स्टेम, जीवन को बनाए रखने के लिए मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मस्तिष्क स्तंभ मृत व्यक्ति स्वयं सांस नहीं ले सकता, सांस लेने के लिए वह वेंटिलेटर पर निर्भर होता है, हालांकि उसकी नब्ज, रक्तचाप व जीवन के अन्य लक्षण महसूस किये जा सकते है। ब्रेन स्टेम का कार्य न करना मृत्यु का लक्षण है, मस्तिष्क मे क्षति पहुँचने के कारण ऐसी स्थिति होती है, इस प्रकार के रोगी को मस्तिष्क स्तंभ मृत घोषित किया जाता है।

कोमा रोगियों और मस्तिष्क स्तंभ मृत रोगियों के बीच अंतर है। कोमा रोगी मृत नही होता, जबकि मस्तिष्क स्तंभ मृत व्यक्ति की स्थिति कोमा से परे है, इसमें व्यक्ति चेतना और सांस लेने की क्षमता हासिल नहीं कर पता है। हृदय कुछ घण्टों /कुछ दिनों के लिए वेंटिलेटर की वजह से कार्य कर सकता है, इस अवधि के दौरान करीबी रिश्तेदारों की सहमति से अंग लिये जा सकते हैं। अंग कभी भी दाताओं के जीवन की कीमत पर नही लिए जाते।

मस्तिष्क स्तंभ मृत्यु की घोषणा:

मस्तिष्क स्तंभ मृत्यु की घोषणा, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ब्रेन स्टेम डेथ कमेटी के चार डॉक्टरों की टीम द्वारा की जाती है, जो कि प्रत्यारोपण शल्य चिकित्सा में शामिल नहीं होते। चिकित्सा विशेषज्ञों की ये टीम कम से कम 6 घंटे के अंतराल मे दो बार परीक्षण कर मस्तिष्क स्तंभ मृत्यु सुनिश्चित करती है। मस्तिष्क स्तंभ मृत्यु की घोषणा प्रत्यारोपण के लिए मान्यता प्राप्त अस्पतालों में ही हो सकती है। जीवनदायी अंग, किसी व्यक्ति की मस्तिष्क स्तंभ मृत्यु की घोषणा के बाद ही लिए जा सकते है।

आवश्यक अनुरोध:

मानव जीवन को बचाने के लिए, आप आकस्मिक मृत्यु (मस्तिष्क स्तंभ मृत्यु/हृदय संबंधी मृत्यु) के उपरांत अंगों एवं ऊतकों जैसेः किडनी, लिवर, हृदय, आखें, त्वचा और हड्डियाँ आदि दान कर सकते हैं। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर/ट्रांसप्लांट को–ऑर्डिनेटर/काउंसलर के लिए आवश्यक है, कि वे आपसे मानव अंग प्रत्यारोपण कानून के तहत अंगों और ऊतकों के दान के लिए अनुरोध करें। रोगियों के रिश्तेदारों से अनुरोध है कि इस नेक कार्य में सहयोग करने की कृपा करें।

अंग दान हेतु शपथ लेने की प्रक्रिया:

आप, मरणोंपरांत अंग दान करने की अपनी इच्छा हेतु, अधिकृत अंग एवं ऊतक दान फार्म भर कर दाता बन सकते है। आप हमारी वेबसाइट www.notto.nic.in पर साइन इन कर दाता के रूप में अपने आप का पंजीकृत कर सकते है या फिर ऑफ लाइन पंजीकरण के लिए हमारी वेबसाइट से फार्म 7 डाउनलोड करके भी शपथ ले सकते है।

सब लोगों का हो संकल्प-अंग दान ही एक विकल्प

कृपया फार्म भर कर उसकी एक प्रति हस्ताक्षर कर नोटो को नीचे लिखे पते पर भेजें।

राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन,
चतुर्थ तल, एन.आई.ओ.पी. भवन,
सफदरजंग अस्पताल परिसर, नई दिल्ली–110029

विचार बदल जाने पर प्रतिज्ञा वापसी:

यदि आपका अंग दान करने का विचार बदल जाता है तो, नोटो की हेल्पलाइन (1800114770) पर फोन करके, हमें पत्र लिखकर या हमारी वेबसाइट पर लॉग इन कर शपथ वापसी विकल्प चुनकर, आप अपनी शपथ वापस ले सकते है। इसके अलावा, आप अपने परिवार को भी इस बारे में सूचित करें कि आपने अंग दान करने का विचार बदल दिया है।

कानूनी ढाँचा/स्थिति:

अंग दान व प्रत्यारोपण, मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम (THOA Act) 1994 के तहत आता है, जो जीवित दाता एवं मस्तिष्क स्तंभ मृत्यु दाता को अंगदान करने की स्वीकृति प्रदान करता है। वर्ष 2011 के संशोधन में ऊतक दान को भी इस अधिनियम में स्वीकृति दी गई, जो अब, मानव अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण (संशोधित) अधिनियम 2011 है।

यह अधिनियम चिकित्सकीय प्रयोजनों के लिए अंगों को निकालने, भंडारन और प्रत्यारोपण को नियंत्रित कर, मानव अंगों को वाणिज्यिक व्यवहार से बचाता है। कोई भी मानव अंग खरीदा या बेचा नहीं जा सकता है।

अंगों की बिक्री/ तस्करी होने के मामले में शिकायत कहां की जाए:

यदि कोई व्यक्ति झूठे रिकार्ड प्रस्तुत करने या अन्य अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसकी सूचना उपयुक्त प्राधिकारी Appropriate Authority, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राज्य सरकार दी जानी चाहिए। इस स्थिति में किसी अस्पताल की प्राधिकरण समिति या कोई व्यक्ति भी, दोषी के खिलाफ मामला दर्ज करा सकता है।
मानव अंग प्रत्यारोपण संशोधित अधिनियम 2011 के अनुसार दंड का प्रावधन इस प्रकार है।

अनाधिकृत रूप से मानव अंगों व ऊतकों को निकालने के लिए 10 वर्ष तक कारावास एवं 5 लाख रुपये का जुर्माना अथवा दोनों

मानव अंगों व ऊतकों में वाणिज्यिक लेन देन के लिए सजा 5–10 वर्ष तक कारावास एवं 20 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये का जुर्माना

अंग दान - जीवन दान